FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम नागौर

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

मदन मोहन सोढ़ाणी पुत्र रामेश्वरलाल सोढ़ाणी जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर–08, नांवा तहसील नांवा जिला नागौर।

तहसीलदार नावां

किस्म मुकदमा विविध प्रार्थना पत्र संख्या ०९ सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
08.07.19	एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या–3274 / 2019 श्री सौरभ पुत्र मदन मोहन सोढ़ाणी वगैरह बनाम राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर नागौर वगैरह में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 के क्रम में अभ्यावेदन दिनांक 08.07.2019 के साथ वसियतनामा, उक्त रिट याचिका, व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 की छाया प्रति प्रस्तुत कर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नगरपालिका नांवा को उक्त वसियत के आधार पर तीनों बच्चों के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। उक्त वसियतनामा दिनांक 17.03.2012 के अनुसार श्रीमति पार्वती देवी बेवा स्व0 श्री रामेश्वरलाल सोढ़ाणी जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 8 कस्बा नावां तहसील नांवा जिला नागौर द्वारा कस्बा नावां की आबादी के वार्ड संख्या–8 में एक भूखण्ड बाड़ा व उसमें बने मकानात अपने पौत्रगण सर्वश्री सौरभ सोढ़ाणी, प्रतीभ सोढ़ाणी व पृथ्वी सोढ़ाणी पिसरान श्री मदनमोहन सोढ़ाणी जाति महाजन निवासीयान कस्बा नांवा, तहसील नांवा, जिला नागौर के पक्ष में वसियत की गई है। उक्त रिट याचिका के बिन्दु संख्या–4 में वर्णितानुसार उक्त पार्वतीदेवी का 08.06.2012 को निधन हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 23.04.2019 से निम्नानुसार आदेश दिया गया है " In light of such limited submission, the present writ petition is disposed of with a direction to the respondents to decide the representation of the petitioner by passing a speaking order strictly in accordance with law. हस्तगत प्रकरण में रिट याचिका में प्रार्थी श्री मदन मोहन याचिकाकर्ता नहीं है। रिट याचिकाकर्ता प्रार्थी श्री मदन मोहन के पुत्रगण है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के उक्त आदेश दिनांक 23.04.2019 की पालना में अभ्यावेदन प्रार्थी श्री मदन मोहन द्वारा पेश किया जाकर उपरोक्तानुसार माननीय न्यायालय के आदेशानुसार नगर पालिका नावां को उक्त वसीयत के आधार पर तीनों बच्चों के नाम नामान्तरण आदेश जारी करवाने का निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दन सिंह आचीणा ने बहस में कथन किया की वसीयत में वर्णित सम्पत्ति आबादी की होकर नगर पालिका नावां के वार्ड संख्या 8 में स्थित है। याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त वसीयत में वर्णित सम्पति का पट्टा याचिकाकर्ताओ के पक्ष में जारी करने की इस्तदुआ के साथ रिट दायर की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23.04.2019 से रेस्पोडेन्टगण को उपरोक्तानुसार निर्देशित किया है। इसलिए प्रार्थी का मूल अभ्यावेदन दिनांक	

कलक्टर, नागौर

Scanned by CamScanner

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

मदन मोहन बनाम तहसीलदार नावां

प्रार्थना पत्र संख्या– 01 /2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
लगातार 08.07.19	08.07.19 वसीयतनामा दिनांक 17.03.2012, उक्त रिट याचिका, व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 की छाया प्रति अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल नावां को भिजवाते हुए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 23.04.2019 की पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाना उचित है। राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। रिकॉर्ड को अवलोकन किया गया। प्रकरण में वसीयत एवं रिट याचिका में वर्णित सम्पति नगर पालिका नावां के वार्ड नम्बर 8 में स्थित है, जिसका पूर्ण विवरण रिट याचिका एवं वसीयतनामा में अंकित किया हुआ है। अतः प्रार्थी का मूल अभ्यावेदन दिनांक 08.07.2019 वसीयतनामा दिनांक 17.03.12, उक्त रिट याचिका, व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.4.19 की छाया प्रति अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल नावां को भिजवाई जाकर आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 की पालना में संबंधित पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य सबूत आदि का समुचित अवसर प्रदान कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2019 की पालना कठोरता से पालना सुनिश्चित करे। आदेश की प्रति अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मण्डल नावां को पालनार्थ एवं रिट याचिका में तहसीलदार नावां पक्षकार होने से उपरोक्तानुसार दस्तावेजात की प्रतियां तहसीलदार नावां को भी भिजवाई जावे। इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी श्री मदनमोहन को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 8/7/19 (दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर,नागौर कलक्टर, नागौर	

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

Scanned by CamScanner